राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1572/2011/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स ऊषा माइक्रोन्स प्रा.लि., उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

कोई उपस्थित नहीं .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.11.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त उदयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **28.12.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील 276/वेट/2009–10 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का वर्ष 2007–08 का निर्धारण आदेश राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् दिनांक 25.02.2010 को पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ रिकॉर्ड की पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अभिखण्डित कर कायम की गयी मांग राशियों को पुनःस्थापित (restore) करने की प्रार्थना की।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है प्रत्यर्थी को तीन बार आवाज दिलाई गई परन्तु फिर भी न तो प्रत्यर्थी एवं न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित हुऐ। अतः इकतरफा आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

6. रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **28.12.2010** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **11.12.2012** को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है । अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है । जिसके समर्थन में निम्न निर्णय दृष्टव्य हैं :–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी. जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

7. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

8. रिकॉर्ड के परिशीलन एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् हमारे विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर. टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक 11.12.2012 को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

निर्णय सुनाया गया।

22.11.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष